सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर–03
दूरभाष.2552646,2552878 फैक्स 2552406,2551253
Email- encwrbpl@mp.nic.in

–0–

क्रमांक 3314100/1–13/2018/1968 भोपाल, दिनांक23 अगस्त,2018

प्रति,

1 आयुक्त
कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय,
जल संसाधन विभाग,भोपाल (मध्यप्रदेश)

2 आयुक्त,
भू–अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर परियोजना, जल संसाधन विभाग,रींवा (मध्यप्रदेश)

3 परियोजना संचालक,
एम.के.पी.एम.यू.राजगढ़ {रामलीला कालोनी,हास्पिटल रोड,जिला राजगढ {ब्यावरा}(मध्यप्रदेश)

4 समस्त मुख्य अभियन्ता,
....
जल संसाधन विभाग.........(मध्यप्रदेश)

5 मुख्य अभियन्ता,
विद्युत यांत्रिकी,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल(11)(मध्यप्रदेश)

6 वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल(मध्यप्रदेश)

विषयः– जल संसाधन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को मासिक वेतन का भुगतान 1 तारीख को भुगतान किए जाने बाबत ।

–0–

विषयान्तर्गत लेख है कि शासकीय, अर्धशासकीय वाहन चालक वेलफेयर एसोसिएशन, मध्यप्रदेश द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,जल संसाधन विभाग को सम्बोधित पत्र के माध्यम से संज्ञान में लाया गया है कि जल संसाधन विभाग में कर्मचारियों को मासिक वेतन का भुगतान अधिक विलम्ब से किया जा रहा है जिसके कारण कर्मचारियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । राज्य शासन के नियमानुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को माह की 5 तारीख तक किया जाना चाहिये, परन्तु जल संसाधन विभाग से माह के अन्तिम सप्ताह तक वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिस कारण कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हो रहा है ।

2– इस सम्बन्ध में संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक डीटीए–आईएफएमआईएस /122 दिनांक 27–6–2018 को संदर्भित करते हुऐ प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को माह की 1 तारीख का मासिक वेतन भुगतान किया जाना सुनिश्चित कराने की अनुशंसा करते हुए लेख किया गया है कि प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को मासिक वेतन भुगतान माह की 1 तारीख को किया जावे, ताकि कर्मचारी हीन भावना को त्याग कर उच्च मनोबल के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से कर सकें ।

–2–

3— उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में लेख है कि जहाँ तक अधिकांश कार्यालय {डीडीओ} स्तर पर वेतन आहरण की कार्यवाही यथा समय सुनिश्चित हो रही है, परन्तु प्राप्त शिकायत के आधार पर पुनः आपसे निवेदन है कि आपके अधीन अथवा अधीनस्थ कार्यालय {डीडीओ} स्तर पर वेतन आहरण की कार्यवाही यथासमय भरसक प्रयास सुनिश्चित हो, की नियत समयावधि में उसके अधीन कार्यरत प्रत्येक शासकीय सेवकों का वेतन आहरण अनिवार्य रूप से हो जावे ।

4— अगर किसी विशेष परिस्थितियों में तकनीकी कठिनाईयाँ परिलक्षित होती है, तो उक्त कार्यालय{डीडीओ} द्वारा अपने उच्च अथवा सम्बन्धित अधिकारियों/कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर निराकरण की कार्यवाही निष्पादित किया जाना सुनिश्चित करेगें । जिससे प्रत्येक शासकीय सेवक के वेतन भुगतान में भविष्य में अनावश्यक विलम्ब न हो ।

21.8.18
{राजीव कुमार सुकलीकर}
प्रमुख अभियन्ता

पृष्ठांकन क्रमांक 3314100/1—13/2018/1969 भोपाल, दिनांक 23 अगस्त,2018
प्रतिलिपिः—

1— अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,जल संसाधन विभाग,मंत्रालय,भोपाल(मध्यप्रदेश)
2— श्री राजा भइया, प्रान्तीय सचिव, शासकीय अर्धशासकीय वाहन चालक वेलफेयर एसोसिएशन,जिला—शाखा, भोपाल {मध्यप्रदेश}
3— समस्त अधीक्षण यंत्री, {डीडीओ}.........................
4— समस्त कार्यपालन यंत्री,/परियोजना प्रशासक {डीडीओ}.........................
5— वेब मैनेजर {कार्यपालन यंत्री} कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,जल संसाधन विभाग,भोपाल (01)की ओर विभाग की बेवसाइट में प्रविष्टि हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

21.8.18
{राजीव कुमार सुकलीकर}
प्रमुख अभियन्ता